पुलिस मुठभेड़ दिनाँक 07-04-2025 थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।

- थाना मटसेना पुलिस टीम व सर्विलांस/एसओजी टीम द्वारा 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त प्रेमबाबू उर्फ भूरा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिफ्तार।
  - अभियुक्त प्रेमबाबू उर्फ भूरा थाना मटसेना पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 224/2024 धारा 103(1)/238/140(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त है।
  - अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस बरामद।
  - घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु करवाया गया है अस्पताल में भर्ती...

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना मटसेना पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना मटसेना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 224/2024 का वांछित अभियुक्त प्रेमबाबू उर्फ भूरा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर थाना मटसेना पुलिस टीम द्वारा खडेरिया से हरदासपुर जाने वाली सर्विस रोड पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को बाइक पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा बाइक सवार उक्त संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर बाइक को वापस मोड़कर भागने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में भागते समय उसकी बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस टीम को नजदीक आता हुए तथा खुद को घिरता हुआ देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ थाना मटसेना पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उक्त संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त प्रेमबाबू उर्फ भूरा पुत्र श्याम बाबू शर्मा निवासी बवाइन थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद के रुप में हुई है जोकि थाना मटसेना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 224/2024 धारा 103(1)/238/140(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त है। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः- उक्त आरोपी प्रेमबाबू उर्फ भूरा पुत्र श्याम बाबू शर्मा उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों 1. धीरेन्द्र उर्फ मिन्नू पुत्र रवि शर्मा निवासी बवाइन थाना खैरगढ़ 2. रब्बी उर्फ रबजीत पुत्र इन्द्रपाल निवासी रसीदपुर कनैटा थाना मटसैना फिरोजाबाद के साथ मिलकर रविकान्त पुत्र सुखराम निवासी नैपई थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद को घर से काम पर ले जाने के बहाने बुलाकर शराब पिलाकर मारपीट करने के उपरान्त आनन्दीपुर करकौली के जंगल में जाकर एक राय होकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

1.प्रेमबाबू उर्फ भूरा पुत्र श्याम बाबू शर्मा निवासी बवाइन थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्त से बरामदगी –

1.एक अदद तमंचा 315 बोर

2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस

3. 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर काला रंग बिना नम्बर प्लेट।

अभियुक्त पर इनाम -

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के कार्यालय ज्ञाप संख्या डीसीआरबी-पुरस्कार/2025 दिनाँक अप्रैल 06, 2025 द्वारा 25000/- का इनामी घोषित।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 122/2016 धारा 411, 414 भादवि थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

2.मु0अ0सं0 051/2017 धारा 110 सीआरपीसी थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

3.मु0अ0सं0 147/2023 धारा 506 भादवि थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

4.मु0अ0सं0 172/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

5.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 103(1)/238/140(1)/3(5) बीएनएस थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

गिफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.शिव कुमार चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना मटसैना फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद।

2. उ0नि0 अमित तोमर प्रभारी सर्विलांस/एसओजी मय टीम जनपद फिरोजाबाद

3. उ0नि0 प्रशान्त माठा थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

4. उ0नि0 अभय सिंह थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

5. है0का0 123 जितेन्द्र सिंह थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

6. का0 1179 हेमराज सिंह थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

7. का0 37 विक्रम सिंह थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।